

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2390
सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

होमस्टे के लिए दिशानिर्देश

2390. डॉ. राजीव भारद्वाज:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार ने होमस्टे के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या नए दिशानिर्देशों के अंतर्गत होमस्टे के लिए पंजीकरण शुल्क में वृद्धि की गई है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): पर्यटन मंत्रालय दिनांक 10.12.2018 के अपने आम राष्ट्रीय मानक और दिशा-निर्देशों के तहत अतुल्य भारत होमस्टे प्रतिष्ठानों को वर्गीकृत करता है।

होमस्टे के पंजीकरण के लिए कोई शुल्क निर्धारित नहीं है। तथापि, दिशा-निर्देशों के अनुसार, होमस्टे के वर्गीकरण के लिए निर्धारित शुल्क निम्नानुसार है:

श्रेणी	शुल्क (रु. में)
सिल्वर	3,000/-
गोल्ड	5,000/-

उपर्युक्त को अभी तक संशोधित नहीं किया गया है।
